

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०-13.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरूण यादव पुत्र राजवीर यादव निवासी माधौपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 273/2020 वाद संख्या 785/2020 धारा 457,380,411 भा०द०वि० थाना को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट द्वारा दिनांक 13.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास की सजा व 160000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



पीओ- श्री चन्देश कुमार



को० मो० हे०का० कुन्दन



पैरोकार का० दीपक सैनी